राजस्व प्रार्थना पत्र 97/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00281
अनार सिंह बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश वर्मा **आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र–97/2020

प्रार्थी–

1. अनार सिंह उर्फ औनाड़ सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह
   जाति– राजपूत, निवासी–रोहिणा, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 13/12/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अनार सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत ही है। लेकिन उसके नाम की भूमि ग्राम रोहिणा के खाता सं. 180 खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख. न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162 हेक्टेयर दर्ज है। इन खातों की खतोनियों में प्रार्थी का नाम औनाड़ सिंह दतक पुत्र पृथ्वी सिंह तथा दतक पुत्र रतनकंवर दर्ज हो गया है। वहां केवल प्रार्थी का नाम अनार सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह ही है। प्रार्थी के अन्य विधिक दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक खाते व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम अनार सिंह पत्र पृथ्वी सिंह दर्ज है। ग्राम रोहिणा मं अनार सिंह पृथ्वी सिंह का नाम एक मात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है। हलका पटवारी ने फोतगी नामान्तकरण समय आम बोलचाल की भाषा में प्रार्थी का नाम अनार सिंह के स्थान पर औनाड सिंह दर्ज कर दिया है, क्योंकि प्रार्थी को गावं में औनाड़ सिह के नाम से जाना जाता है। इतने दिनों तक कोई समस्या नही आ रही थी परन्तु अब किसान क्रेडिट कार्ड में प्रार्थी का नाम मेल नही खाने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नाम दुरस्ती हेतु पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थी ने मय शपथ पत्र इस्तदुआ की है कि अनार सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह नाम का ग्राम में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तथा नाम दुरस्त किये जाने से किसी व्यक्ति को कोई हक प्रभावित नहीं होगा। तथा प्रार्थी का नाम दुरस्त होने पर प्रार्थी को सुविधा हो जायेगी। अतः प्रार्थी का नाम ग्राम रोहिणा के खाता सं. 180

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व प्रार्थना पत्र 97/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00281
अनार सिंह बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल

खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख.न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162 हेक्टेयर भूमि में औनाड़ सिंह दतक पुत्र पृथ्वी सिंह व दतक पुत्र रतन कंवर के स्थान पर सही नाम अनार सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दुरस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। राजपैरोकार की ओर से भू.अ.निरीक्षक व हलका पटवारी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। हलका पटवारी ने जांच रिपोर्ट मे उल्लेखित किया कि ग्राम रोहिणा में प्रार्थी के नाम से दो खाते दर्ज है। जिसमें खाता सं. 179 में प्रार्थी के दो नाम "अनाड सिंह दतक पुत्र पृथ्वी सिंह 1/2 व अनार सिंह पुत्र [redacted] सिंह 1/2" दर्ज है। खाता सं. 6 मे प्रार्थी का नाम अनाड सिंह दतक पुत्र रतन कंवर जाति राजपूत दर्ज है। गोदनाम दस्तावेज के जरिये भरे गये नामान्तकरण सही है जो गोदनामा मे अंकित नाम अनुसार ही भरा गया है। तथा प्रार्थी का वास्तविक नाम अनार सिंह है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी रोहिणा तहसील जायल की रिपोर्ट आधारकार्ड संख्या 2434 0959 9583, एसबीआई बैक खाता सं. 78162627981, व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की छायाप्रति, तथा गोदनाम की छायाप्रति पेश की गई। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम रोहिणा के खाता सं. 180 खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख.न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, ख.न. 726 रकबा 2.6062 हेक्टेयर में अंकित नाम अनाड सिंह के स्थान पर सही नाम अनार सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज करने का निवेदन कर करते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम अनार व अनाड़ सिंह का उच्चारण एवं स्वर्ण में एक समानता है जिस कारण ही सही नाम रिकॉर्ड मं अंकन आने रह गया है। तथा नाम दुरस्त किया जाता है किसी अन्य को कोई हानी नहीं [redacted]। अतः प्रार्थी का नाम दुरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मे ग्राम ग्राम रोहिणा के खाता सं. 180 खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख.न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, ख.न. 726 रकबा 2.6062 हेक्टेयर में प्रार्थी के अलग अलग नाम अनाड सिंह दतक पुत्र पृथ्वी सिंह/ अनाड दतक पुत्र रतनकंवर व अनार सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अनार सिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज है। खाता सं. 179 में प्रार्थी को 1/2 भाग की खातेदारी गोदपुत्र की हैसियत से प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी का नाम अनाड सिंह दतक पुत्र पृथ्वी सिंह तथा शेष 1/2 भागी की खातेदारी जायन्दा पिता भवंर सिंह से प्राप्त हुई है। व खाता सं. 6 में भी प्रार्थी को खातेदारी गोदपुत्र की हेसियत से प्राप्त हुई जिसमे प्रार्थी का नाम अनाड सिंह दतक पुत्र रतनकंवर दर्ज। दतक पुत्र की हैसियत से मिली खातेदारी एक विधिवत तरीके से गोदनामा पंजीयन होने के बाद खातेदारी मे मिली है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही रही है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनिय है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व प्रार्थना पत्र 97/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00281
अनार सिंह बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल

कि प्रार्थी के नाम अनार सिह एवं अनाड़ सिह दोनो में समानता है तथा दोनो के उच्चारण करने एवं सुनने में अन्तर करना मुशिकिल है। जहां वर्तमान में अन्य सरकारी दस्तावेजो में हिन्दी के साथ अग्रेजी भाषा में भी प्रयोग होता वहा प्रार्थी का नाम में भिन्ता नहीं की जा सकती है क्योंकि अग्रेजी भाषा में दोनो नाम एक ही प्रकार से लिखे जायेंगे। अतः न्यायालय के मतानुसार प्राथी का नाम उपरोक्त वर्णित अराजी भूमि में अनाड सिंह के स्थान पर अनार सिंह दुरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में पूर्णतया कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक [redacted] खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि अनार सिंह व अनाड सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88 आरटी एक्ट, धारा 136 एलआर एक्ट का मानते हुये अनाड सिंह के स्थान पर अनार सिंह का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम ग्राम रोहिणा के खाता सं. 180 खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख.न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, ख.न. 726 रकबा 2.6062 हेक्टेयर में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आरटी एक्ट 1955 की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम [redacted] तहसील जायल की जमाबंदी के खाता सं. 180 खसरा नम्बर 798 रकबा 5.8275 हेक्टेयर व ख.न. 799 रकबा 3.1889 हेक्टेयर तथा खाता सं. 6 जिसमे ख.न. 471 रकबा 2.9461 हेक्टेयर, खाता सं. 179 ख.न. 386 रकबा 0.0162, ख.न. 726 रकबा 2.6062 हेक्टेयर में दर्ज नाम अनाड सिंह के स्थान पर अनार सिंह दुरस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13/12/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल